न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 35/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 डाली देवी पत्नी नारायण।
2 राजेन्द्र पुत्र नाराणा।
3 दयानन्द पुत्र नाराणा।
4 बनारसी पत्नी रामेश्वर।
5 खमाणचन्द पुत्र रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण सुलतानपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1/1 रामप्यारी देवी पत्नी पालाराम।
1/2 दयाराम पुत्र पालाराम।
1/3 पवन कुमार पुत्र पालाराम समस्त जाति जाट निवासीगण सुलतानपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
1/4 सुमित्रा पुत्री पालाराम पत्नी बुद्विप्रकाश जाति जाट निवासी गिलो की ढाणी भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/5 सिलोचना पुत्री पालाराम पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाका का बास तन भगेरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 केशर देव पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी सुतानपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 29.04.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा
उनवानी रामप्यारी वगैरह बनाम डाली देवी वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर
(9 / 14 / 13 / 16 / 14 / 18)

उपस्थिति :

1. श्री विजय कुमार ओला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 9/2014, 13/2016, 14/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने आवेदन धारा 251ए स्वीकार कर खसरा नम्बर 141 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 137 व 114 में से 93 मीटर लम्बा तथा 12 फिट चौड़ा रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया एवं डीएलसी की दौगुनी राशि जमा होने पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय की आदेश की पालना में राशि जमा होकर नक्शे मे रास्ता दर्ज कर नामान्तकरण संख्या 437 दिनांक 13.05.2019 के द्वारा रास्ते का अंकन कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दौराने अपील अपीलांट दयानन्द, खमाणचन्द एवं रेस्पोडेंट केशरदेव ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर पक्षकारों की पहचान की एवं शेष पक्षकारों की और से राजीनामा पर सहमति जाहिर की। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा उपस्थित पक्षकारों को एवं विद्वान अधिवक्तागण को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होने सही होना स्वीकार किया इस पर राजीनामा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण मुताबित राजीनामा प्रकरण निर्णित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। चूकि उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबित राजीनामा प्रकरण अन्तिम रूप से निस्तारण करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय एवं उसकी पालना में पारित नामान्तकरण संख्या 473 दिनांक 13.05.2019 निरस्त किया जाता है।

जहां तक रास्ते का सन्दर्भ है मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 141 में आने जाने के लिए अपीलांटस की भूमि खसरा नम्बर 303/137 में से उत्तरी सीमा पर स्थित कटान के रास्ते से खसरा नम्बर 303/137 में से उत्तरी सीमा पर नजरी नक्शे पर दर्ज ए से बी व खसरा नम्बर 303/137 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 141 की उत्तरी सीमा तक बी से सी तक 12 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जायेगा। इस हेतु रेस्पोडेंट अपनी भूमि खसरा नम्बर 141 में से 93 मीटर भूमि अपीलांट को देगें। इस रास्ते के बाबत सुलभ सन्दर्भ हेतु राजीनामे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

पू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में रेस्पोडेंट द्वारा जमा करवाई गई राशि रेस्पोडेंट को पुन लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायिक कार्यवाही में हुआ व्यय पक्षकार अपना– अपना वहन करेगें।

उपरोक्तानुसार अपील स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर